

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
OA NO.119/2024**

IN THE MATTER OF :

Satish KumarApplicant

Versus

MOEF & CC & Ors.Respondents

D.O.H.: 20.08.2024


I N D E X

S.No.	Particulars	Pages
1.	Reply on behalf of the respondent No.2 & 5 to the application filed by the applicant along with the affidavit .	1-10
2.	Annexure R2/1 True Copy of the complaint to SP, Jhajjar	11-12
3.	Annexure R2/2 True Copy of the compliant to SHO, Salawas	13
4.	Annexure R2/3 Copy of the reply by respondent no 2 to DDPO	14
5.	Annexure R2/4 Copy of the FIR dated 03/11/2023	15-23
6.	Annexure R2/5 True copy of the complaint dated 06/11/2023	24-25
7.	Annexure R2/6 Statement of Respondent no 2 dated 02/1/2024	26
8.	Annexure R2/7	27

	True copy of the complaint to DC dated 04/04/224	
9.	Annexure R2/8 True copy of the complaint to DC	28-29
10.	Annexure R2/9 Statement of respondent no 2 dated 05/04/2024	30
11.	Annexure R2/10 Photographs of the plantation of trees by the respondent no 2	31-32
12.	Annexure R2/11 Photographs of cutting of trees	33-35
13.	Annexure R2/12 True copy of the minutes dated 30/04/2012 of the committee of Sh Attar Singh	36-52
14	Vakalatnama	53

21/11/2024
RESPONDENT NO.2 & 5

THROUGH


NITIN YADAV, MADHULATA
& MANOJ KUMAR
ADVOCATES

CH. NO.547, DWARKA COURT COMPLEX,
SECTOR-10, DWARKA,
NEW DELHI-110075

NEW DELHI.
DATED :

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

OA NO.119/2024

IN THE MATTER OF :

Satish Kumar

.....Applicant

Versus

MOEF & CC & Ors.

.....Respondents

D.O.H.: 20.08.2024

**REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO.2 AND 5 NAMELY
SMT. SAROJ DEVI (SARPANCH) W/O SH. HARI KISHAN R/O
VILLAGE-JHASWA, DISTRICT- JHAJJAR, HARYANA**

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

PRELIMINARY SUBMISSIONS:

1. That the answering respondent is a law abiding citizen and having huge respect in the society. It is submitted that the answering respondent is a nature loving person and she had planted more than 300 trees in the Bani of Village-Jhaswa, Distt.-Jhajjar, Haryana at her own cost. The photographs to this regard are annexed herewith for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal.
2. That the Punjab Land Preservation Act, 1900(Haryana Amendment Act 2019) had been extended to Haryana

State in the year 2019 to provide for the better preservation and protection in certain areas in 10 district of Haryana Namely :- Panchkula, Ambala, Yamuna Nagar, Mewat, Gurgaon, Palwal, Faridabad, Mahendergarh, Rewari and Bhiwani. It is pertinent to mention herein that the District Jhajjar does not come under the provisions of Punjab Land Preservation Act which is the subject matter of the present complaint filed by the applicant.

3. That it is submitted that the answering respondent is falsely implicated in the present case by the applicant due to political rivalry. It is submitted that in the year 2022 the answering respondent and Smt Manisha W/O Sh Ajit Singh contested the election of Sarpanch in which Smt Manisha had lost the election with the answering respondent. It is pertinent to mention herein that applicant is a very close friend of Sh Attar Singh who is brother in law of the Smt Manisha who had instigate the applicant to file the present matter against the answering respondent wherein both Attar Singh and Smt Manisha had conspired against the answering respondent to dent the image of the answering respondent and further to take advantage in elections. It is pertinent to mention herein

that by filing this false case the Attar Singh and Smt Manisha wants to defame the image of answering respondent.

4. That the applicant did not come before this Hon'ble Tribunal with clean hands and is taking undue benefit of his own wrong. It is submitted that the applicant himself had cut the trees in collusion with some other persons namely Manjeet S/o Sh. Rambir, Satyawan S/o Rambir, Cheeku S/o Chand, Rajesh S/o Bhim Singh, Attar Singh S/o Ishwar Singh, Dewan Singh S/o Amar Singh, Raju S/o Ajay and Amit S/o Mange Ram who all are the associated with the applicant and amongst them some are the family members of Sh. Attar Singh, who is friend of the applicant who had lost the election of Sarpanch in the Village. It is further submitted that the answering respondent even had given complaints against all the above stated persons vide dated 02.11.2023 to the SP of Distt. Jhajjar and on 06.11.2023 & 04.04.2024 to the Deputy Commissioner, Jhajjar in respect of the cutting of trees in the Village and water theft in the pond of Gram Panchayat. It is further submitted that on 02.11.2023 at about 9.40 p.m. the answering respondent and member of

Panchayat saw the persons known to Satish/ applicant who were indulge in the water theft and the sarpanch had made complaint to the SHO, PS-Salawas and after that the police came at the spot but the police did not take any action against the aforesaid persons of applicant. It is further submitted that all the persons namely Manjeet S/o Sh. Rambir, Satyawar S/o Rambir, Cheeku S/o Chand, Rajesh S/o Bhim Singh and Attar Singh S/o Ishwar Singh and the answering respondent with her husband and other members of Panchayat i.e. Panch namely Naveen, Laxman Singh, Satpal, Suresh, Seema, Munesh, Anju, Dharmender and Poonam went to Police Station Salawas and there in-front of SI Rampal Salawas the above stated persons of the applicant had badly beaten by fist and blow of knife to the husband of the Sarpanch. It is further submitted that the blood stained clothes of husband of Sarpanch are still lying with her. It is further submitted that upon that incident an FIR No.301/2023 u/s 147, 149, 323, 506 dated 3-11-2023, had been registered against the aforesaid persons but no case was registered regarding the cutting of trees and water theft.

5. That it is pertinent to mention herein that the present matter is a counterblast to the FIR which had been registered against the above said persons on the complaint of the answering respondent and the through the present false complaint applicant is taking revenge against the answering respondent.
6. That the applicant is used to indulge in the illegal and unlawful activities in the Village. It is submitted that in the year, 2012 a Committee was formed by the persons of applicant in which the auction of trees was completed and the amount of auction was retained by those persons whose names are mentioned in that Committee. It is further submitted that the committee can only be formed with the permission of D.C. and after that with the consent of Sarpanch and other members of the Gram Panchayat i.e. Panch. It is further submitted that in that Committee there is no permission was taken from the D.C. and further no consent had ever given by the Sarpanch of that time. Therefore, it is quite clear that the applicant with collusion with his persons is falsely implicated the answering respondent in the present application.

7. That it is further submitted that the applicant in collusion with persons used to cut the trees and implicate the answering respondent in the false case. It is further submitted that the applicant is inconsistent with his own statement i.e. in his complaint to the DDPO dated 31.10.2023 and 02.11.2023 and to the C.M. dated 03.11.2023 had stated that there is a cutting of 25-30 trees and further in the present application he had stated that the number of cutting of trees are 100. It is pertinent to mention here that the applicant had falsely implicated the answering respondent in the present application only with a view to harass the answering respondent.
8. That it is submitted that the answering respondent had duly replied all the complaints filed by the applicant herein against the answering respondent and she had also attend all the personal hearing before the concerned authority and gave her statement regarding that she has falsely implicated in all the complaints filed by the applicant herein. It is submitted that the inquiry before the DC Jhajjar, it was found that there was cutting of 100 trees in the village Jhaswa but it was not concluded that the person who had cut the trees was answering respondent.

It is pertinent to mention herein that the all the persons in the inquiry of DC are related to applicant and no one from the member of Gram Panchayat was present at that time.

9. That it is submitted that the photographs attached with the application are only of the cutting of trees. It is pertinent to mention herein that nobody is in the said photographs, therefore it is not clear as to who had cut the said trees mentioned in the photographs. It is further submitted that the answering respondent is the victim of false allegations of the applicant.

REPLY ON MERITS:

1. That it is submitted that the answering respondent had not cut even a single tree although she had planted more than 300 trees at her own cost. It is further submitted that the applicant is falsely implicated the answering respondent in the present application by cutting himself the said trees due to political rivalry. It is further submitted that the applicant had inconsistently stated in some complaints the number of trees are 25-30 and in the present application the number of trees are mentioned 100 trees.

2. That it is submitted that the receipt attached by the applicant with his application of the Weighing Scale for measuring of weight of trees are false and fabricated. It is further submitted that the owner of Weighing Scale is well known to the applicant and there is no role of answering respondent to this regard. It is the applicant who had implicate the answering respondent only with a view to harass the answering respondent.
3. It is submitted that neither the answering respondent nor her member of Panchayat had sold the trees or retained even single penny with respect to the selling of the cutting trees. It is further submitted that it is the concocted story made by the applicant only with a view to harass the answering respondent.

The prayer clause of the said application is wrong and denied.

PRAYER

It is therefore most respectfully and humbly prayed before this Hon'ble Court that the present application filed by the applicant with malafide intention be kindly dismissed with heavy cost and relief be given to answering respondent in the extreme interest and fairplay of justice.

Any other and further orders as this Hon'ble Court may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case may pleased be passed in favour of answering Respondents and against the applicant.


रखी जा रही

RESPONDENT NO. 1 & 5

NEW DELHI.

THROUGH

DATED: .08.2024



NITIN YADAV, MADHULATA
& MANOJ KUMAR
ADVOCATES

CH. NO.547, DWARKA COURT COMPLEX,
SECTOR-10, DWARKA,
NEW DELHI-110075

NEW DELHI.

DATED :

10

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
OA NO.119/2024**

IN THE MATTER OF :

Satish Kumar

.....Applicant

Versus

MOEF & CC & Ors.

.....Respondents

AFFIDAVIT

I, Saroj Devi W/o Sh. Hari Kishan R/o Village-Jhaswa, Distt. Jhajjar, Haryana, do hereby solemnly affirm and declare as under:-

1. That the deponent is the respondent No.2 & 5 in the above mentioned application and am well conversant with the facts of the case and competent to swear this affidavit.
2. That the contents of the accompanying reply of the application has been drafted by my counsel under my instruction and the same are true and correct to the best of my knowledge derived from the case record and has been drafted by my counsel under my instruction and the same be read as part and parcel of the affidavit and the same are not being repeated herein for the sake of brevity.

Identified
I identify the deponent who has signed in my presence.


सरोज देवी

12 AUG 2024

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at New Delhi, on _ day of August, 2024, that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed there from.



CERTIFIED THAT THE DEPONENT
Name: Saroj Devi
Age: 40
Address: Vill. Jhaswa, Distt. Jhajjar, Haryana
I have examined the affidavit which has been sworn by the deponent before me at New Delhi on 12/08/2024 and certify that the contents thereof are true and correct to the best of my knowledge and belief.
Oath Commissioner
RITA SHARMA
New Delhi

सरोज देवी

DEPONENT

12 AUG 2024

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय,
झज्जर।

विषय:- दरखास्त बाबत पंचायती जमीन गांव झांसवा के पेड़ व पानी की चोरी करने बाबत किये जाने कानूनी कार्यवाही बरखिलाफ मंजीत पुत्र रामबीर और सत्यवान पुत्र रामबीर व चीकू पुत्र चांद व राजेश पुत्र भीम सिंह, अतर सिंह पुत्र ईश्वर सिंह सभी निवासीयान गांव झांसवा, तहसील मातनहेल, जिला झज्जर।

श्रीमान् जी,

निवेदन यह है कि मैं सरोज देवी पत्नी हरिकिशन गांव झांसवा, तहसील मातनहेल, जिला झज्जर की रहने वाली हूँ। दिनांक 02.11.2023 समय करीब शाम 9:45 बजे पर मैं व मेरे साथ पंच, हमने देखा कि मंजीत पुत्र रामबीर और सत्यवान पुत्र रामबीर व चीकू पुत्र चांद व राजेश पुत्र भीम सिंह, अतर सिंह पुत्र ईश्वर सिंह सभी निवासीयान गांव झांसवा, तहसील मातनहेल, जिला झज्जर पेड़ों और पानी की चोरी करते हुये देखा। ट्रैक्टर का नाम Farmtrac-60 जिससे पानी की चोरी कर रहे थे और एक जनरेटर हाई स्पीड से पानी चोरी कर रहे थे। जिसकी विडियो हमारे साथ हैं। विडियो बनाते वकत वे सभी भाग गए। तब हमें उनके ट्रैक्टर की विडियो बनाई और एक नीटू पुत्र उमेद सिंह भी था। सरपंच ग्राम पंचायत झांसवा ने इनको पहले भी मना किया हुआ था परन्तु ये फिर भी उसका पानी ले रहे थे। यदि ग्राम पंचायत झांसवा गांव में कोई भी विकास कार्य करती है तो उसमें रूकावट भी डालते हैं और सरपंच श्रीमति सरोज देवी को मानसिक रूप से परेशान रखते हैं।

उक्त घटना बाबत प्रार्थीया ने एक दरखास्त पुलिस थाना साल्हावास में दी थी। जिस पर पुलिस थाना साल्हावास ने श्रीमति सरोज देवी, प्रार्थीया का पति, गांव के सभी पंच नवीन, लछमन

सिंह, सतपाल, सुरेश, सीमा पत्नी 105 निवास, मुनेश, अंजु, धर्मेन्द्र, पूनम, धर्मेन्द्र व गांव के अन्य मौजिज व्यक्ति व उपरोक्त दोषीगण को पुलिस थाना साल्हावास में बुलया। जिन्होंने पुलिस थाना साल्हावास में एस. आई. रामपाल के सामने ही प्रार्थीया के पति को लात, घुस्से, चाकू व ईट आदि मारी। जिस बाबत पुलिस थाना साल्हावास ने उपरोक्त दोषीगण के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर दिया परन्तु आई. ओ. पुलिस थाना साल्हावास ने प्रार्थीया द्वारा पेड़ व पानी की चोरी बाबत जो दरखास्त दी थी उस पर किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही ना की और उपरोक्त दोषीगण ने प्रार्थीया व उसके पति को जाने से मारने की धमकी दी।

अतः जनाब से प्रार्थना है कि उपरोक्त दोषीगण के खिलाफ ग्राम पंचायत झांसवा के पेड़ व पानी की चोरी बाबत मुकदमा दर्ज करते हुये सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे। प्रार्थीया व उसके पति की जान माल की रक्षा की जावे। जनाब की अति कृपा होगी।

सरोज देवी
सरपंच

स्थान: झज्जर।

ग्राम पंचायत झांसवा प्रार्थीया
जिला झज्जर (हरियाणा)

दिनांक: 2/11/23

सरोज देवी पत्नी हरि
किशान, हाल सरपंच गांव
झांसवा, तहसील
मातनहेल, जिला झज्जर।

मोबाईल न0 7011765097

9817109501

श्रीमान जी,

S.H.O. महेन्द्र
राजगढ़ जिल्ला कारागार

श्रीमान जी,

निम्नलिखित बात है कि मैं महेन्द्र देवी वा. लाल निवासी
 गाँव राजगढ़ की रहने वाली हूँ। आज दिनांक 2/11/2022
 रात को करीब 9:45 PM को मैं अपने कमरे में सो रही थी
 तब मेरे कमरे में अचानक से एक व्यक्ति का आना हुआ
 और उसने मेरे कमरे में घुसकर मेरी सोफा के नीचे से
 कुछ सामान चोरी कर लिया। इससे मैं बहुत डर गई हूँ
 और मैंने तुरंत पुलिस को सूचना दी है। मैंने अपने
 पास रखे हुए सामानों की सूची भी तैयार की है। मैं
 आपसे अपील कर रही हूँ कि आप इस मामले में
 तुरंत कार्रवाई कर लें और मेरी सुरक्षा सुनिश्चित
 करें। मैंने अपने पति को भी सूचना दी है। मैं
 आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मैंने अपने
 पति को भी सूचना दी है। मैंने अपने पति को भी
 सूचना दी है। मैंने अपने पति को भी सूचना दी है।
 मैंने अपने पति को भी सूचना दी है। मैंने अपने पति को भी
 सूचना दी है। मैंने अपने पति को भी सूचना दी है।
 मैंने अपने पति को भी सूचना दी है। मैंने अपने पति को भी
 सूचना दी है। मैंने अपने पति को भी सूचना दी है।

प्रार्थना
 महेन्द्र देवी वा. लाल निवासी
 गाँव - राजगढ़
 M. No. - 9011 7650 91
 98 11109 501
 2/11/22

ग्राम पंचायत शासक

प्रेषक

श्रीमती सरोज सरपंच

ग्राम पंचायत झांसवा

खण्ड मातनहेल

प्रेषित

खण्ड एवं विकास पंचायत अधिकारी

मातनहेल

विषय:- जवाब कारण बताओ नोटिस क्रमांक 4297 दिनांक 03.11.2023।

श्रीमान जी,

ग्राम पंचायत झांसवा जिला झज्जर बजरिये मे सरपंच निम्नलिखित जवाब कारण बताओ नोटिस पेश करती है।

1. यह कि सतीश कुमार पुत्र श्री चन्द सिंह निवसी झांसवा राजनैतिक रजिस रखने के कारण सरपंच के खिलाफ मनघडत आरोप लगा रहा है। जो सभी आरोप झुठे है तथा सरपंच ग्राम पंचायत झांसवा ने गुरु चारा कि वाणी से कोई पेड ना तो कटवाये और ना हि बेचे जबकि सरपंच ने गांव के सहयोग से करीब 300 नए वर्क लगवाये है।
2. यह कि प्रार्थिया ने पेड काटने व पानी चौरी बाबत एक शिकायत एस0 एच0 ओ साल्हावास को मन्जीत पुत्र रामबीर, सत्यवान पुत्र रामबीर व चीकू पुत्र चान्द, राजेश, अत्तर वगैरा के खिलाफ आवशसयक कार्यवाही बारे दे रखी है जिस पर दोनो पक्षो को दिनांक 03.11.2023 को थाने मे बुलवाया गया था सरपंच के पति पर हमला कर दिया जिस बारे एक FIR No 301/2023 थाना साल्हावास मे दर्ज है। इस बारे सरपंच द्वारा पहले हि आपको व S.P साहब को शिकायत दी गई थी तथा जअ पानी चौरी किया जा रहा था तो सरपंच व पंच मौके पर गए और मौके पर पुलिस भी बुलाई गई मगर पुलिस ने कोई कार्यवाही नही कि।
3. यह कि शिकायत ते सरपंच के खिलाफ लगाये सभी आरोप निराधार है व महज गांव कि राजनैतिक बहस झुठे लगाये गये।
अतः जनाब से अर्ज है कि प्रार्थी की शिकायत को दफतर दाखिल किया जावे।

सरपंच ग्राम पंचायत झांसवा

सरोज देवी
सरपंच

ग्राम पंचायत झांसवा
जिला झज्जर (हरियाणा)

सरोज देवी
जिला झज्जर

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

Annexure R2/4

District (ज़िला): JHAJJAR

P.S. (थाना): SAHLAWAS

Year (वर्ष): 2023

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0301

Date (दिनांक): 03/11/2023

15:52

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	147
2	IPC 1860	149
3	IPC 1860	323
4	IPC 1860	506

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

Day (दिन): Friday

Date from (दिनांक से):
03/11/2023

Date To (दिनांक तक):
03/11/2023

Time Period (समय अवधि):

Time From (समय से): 00:00
hrs

Time To (समय तक): 15:00
hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक):
03/11/2023

Time (समय):
15:52 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.):
022

Time (समय):
03/11/2023
15:52 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICE 109 (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

16

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): साल्हावास,
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): सरोज देवी
(b) Husband's Name (पतिका नाम): हरिकिशन
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1983 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Occupation (व्यवसाय):

(h) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	गांव झांसवा, SAHLAWAS, JHAJJAR, HARYANA, INDIA



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICE 110 (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

17

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

2	Permanent Address	गांव झांसवा, SAHLAWAS, JHAJJAR, HARYANA, INDIA
---	-------------------	------------------------------------------------

(i) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):
91-7027279930

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)
1	अतर सिंह		Father's Name: ईश्वर सिंह
2	राजेश		Father's Name: भीमसिंह
3	सोनु		Father's Name: सत्यवान
4	जोगेन्द्र		Father's Name: रतनसिंह
5	चिक्कु		Father's Name: चान्द सिंह
6	राजेश		Father's Name: प्रितसिंह
7	रामनिवास		Father's Name: शेरसिंह
8	सन्दीप		Father's Name: ईश्वर सिंह
9	मन्जीत		Father's Name: रामी

3. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES ¹⁸ हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Sub Type (उप प्रकार)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में श्रीमान जी, SHO साहब थाना साल्हावास श्रीमान जी, निवेदन है कि मैं सरोज देवी W/O श्री हरिकिशन गांव झासवां की रहने वाली हूँ। और मैं मेरे गांव की मौजूदा सरपंच हूँ। दिनांक 02.11.2023 को रात के समय हमारे गांव के पचायती जोहड़ का पानी हमारे गांव का अतर सिंह S/O ईश्वर सिंह व उसके साथी चोरी कर रहे थे। जो इस सम्बंध में हमने 112 न0 पर काल की थी। जो उस सम्बंध में जो आज दिनांक 3.11.2023 हम दोनों पक्ष थाने में हाजिर आए थे। जो हम दोनों पक्ष पानी चोरी वाले आपस में बातचीत कर ही रहे थे तब अतरसिंह ने हमें गालियां देने लगे और ईंट उठा कर मेरे पति हरिकिशन के मुंह पर मारी और फिर राजेश S/O भीमसिंह, सोनु S/O सत्यवान, जोगेन्द्र पुत्र रतनसिंह, चीकु S/O चांदसिंह, राजेश S/O प्रीत सिंह, रामनिवास S/O शेरसिंह, संदीप S/O ईश्वर सिंह वासी झासवां ने एक दम मेरे पति हरिकिशन पर हमला बोल दिया और हमारे साथ मार-पिट्टाई की और हमारे को जान से मारने की धमकी भी दी। फिर हमारे को महेन्द्र पुत्र हरिदवारी, ओमप्रकाश, सतपाल पंच, नवीन पंच, सीमा पंच, करबीर S/O महेन्द्र सिंह, मुनेश, धमेन्द्र ये सभी पचायत के पंच हैं। ये भी मौका पर मौजूद थे। इन्होंने हमारे को छुटवाया आपसे निवेदन है कि अतर सिंह S/O ईश्वर सिंह, राजेश S/O भीमसिंह, सोनु S/O सत्यवान, जोगेन्द्र S/O रतनसिंह, चीकु S/O चांदसिंह, राजेश S/O प्रितसिंह, रामनिवास S/O शेरसिंह, संदीप S/O ईश्वर सिंह व मन्जीत S/O रामी वासीयान झासवां के खिलाफ सख्त से सख्त कारवाई की जाए SD सरोज देवी प्रार्थी सरोज देवी पत्नी हरिकिशन गांव झासवां



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES 112 (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

7027279930 कार्यवाही पुलिस - आज मन HC मय सि0 नवीन 1393 के बराये दरियाफ्त दरखास्त गांव अम्बोली मौजूद था कि MHC थाना ने सुचना दी कि हरिकिशन S/O राजेन्द्र वासी झांसवा के साथ थाना साल्हावास मे झगडा हुआ है कार्यवाही के लिए पहुचे जो इस सुचना पर मन HC मय साथी के रवाना होकर थाना साल्हावास मे पहुचा जहा मजरुब हरिकिशन उपरोक्त कि पत्नी सरोज देवी हाजिर मिली जिसने मन HC को एक लिखित दरखास्त पेश कि जो इसी समय एक रुक्का हरिकिशन उपरोक्त का प्राप्त हुआ कि लडाई झगडे मे मजरुब होकर दाखिल CHC जमालपुर है कार्यवाही के लिए पहुचे जो मन HC मय साथी के CHC जमालपुर पहुचा जहा रुक्का डाक्टरी व MLR NO

AK/85/JAMALPUR/2023 DT 3.11.2023 अजाने हरिकिशन प्राप्त की जिसमे डाक्टर साहब ने कुल 3 चोटे जो सभी चोटे ADV SURGERY OPINION तहरीर की हुई है जो मजरुब बारे पता जोही किया तो मजरुब GH झज्जर का रैफर पाया गया । जो दरखास्त व रुक्का डाक्टरी व MLR से सुरत जुर्म जेर धारा 147,149,323,506 IPC का सरजद होना पाया जाने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त सि0 नवीन 1393 के अरसाल थाना भेजी जा रही है । मन HC रवाना मौका घटनास्थल का होता हूँ । अज: CHC जमालपुर SD YOGESH HC PS.S/WAS DT-3.11.23 AT- 3.00 PM अज थाना - हस्ब आमद तहरीर उपरोक्त बदस्त सि0 नवीन 1393 के थाना मे प्राप्त होने पर मुकदमा नम्बर 301 दिनांक 03.11.2023 धारा 147,149,323,506 IPC थाना साल्हावास दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम सुचना रिपोर्ट की कम्प्युटर प्रतिया तैयार की गई जिसको बजरिया डाक सम्बन्धित अफसरान बाला के पास भेजी जावेगी । नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर आरिन्दा सि0 नवीन 1393 के नीजद I/O बर मौका भेजी जा रही है । प्रथम सुचना रिपोर्ट SI रामपाल थाना साल्हावास की हाजरी मे दर्ज रोजनामचा किया गया ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या) Rank (पद): HC (Head Constable)

(2)



(20)

113
HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):

YOGESH

No. (सं.): 691JJR to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

Directed (Mobile No. of I.O.) (जांच अधिकारी का मोबाइल नंबर): 918059632023

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): _____ or (के कारण इंकार किया या) District (ज़िला): _____

(4) Transferred to P.S. (थाना):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Parkash Chand

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 1791fbd

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):



(21)

114
HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7

संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					Is pox pitted: Yes
2	Male					Is pox pitted: Yes
3	Male					Is pox pitted: Yes
4	Male					Is pox pitted: Yes
5	Male					Is pox pitted: Yes
6	Male					Is pox pitted: Yes
7	Male					Is pox pitted: Yes
8	Male					Is pox pitted: Yes
9	Male					Is pox pitted: Yes



(23)

HARYANA POLICE CITIZEN SERVICE (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

निजी सुनवाई दिनांक 02.01.2024 हेतु श्रीमती सरोज देवी, सरपंच, ग्राम पंचायत झांसवा व अन्य ग्राम वासियों के ब्यान

Annexure R2/6

विषय:- ग्राम पंचायत झांसवा की निजी सुनवाई बारे ।

श्रीमान जी,

मैं सरपंच ग्राम पंचायत झांसवा सरोज देवी, ब्यान करती हूँ कि सतीश कुमार पुत्र श्री चन्द सिंह निवसी झांसवा राजनैतिक रंजिस रखने के कारण सरपंच के खिलाफ मनघडत आरोप लगा रहा है। जो सभी आरोप झूठे है तथा सरपंच ग्राम पंचायत झांसवा ने गुरु चारा कि वाणी से कोई पेड ना तो कटवाये और ना हि बेचे जबकि सरपंच ने गांव के सहयोग से करीब 300 नए वर्क्ष लगवाये है। यह कि प्रार्थीया ने पेड काटने व पानी चौरी बाबत एक शिकायत एस० एच० ओ साल्हावास को मन्जीत पुत्र रामबीर, सत्यवान पुत्र रामबीर व चीकू पुत्र चान्द, राजेश, अत्तर वगैरा के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही बारे दे रखी है जिस पर दोनो पक्षो को दिनांक 03.11.2023 को थाने मे बुलवाया गया था सरपंच के पति पर हमला कर दिया जिस बारे एक FIR No 301/2023 थाना साल्हावास मे दर्ज है। इस बारे सरपंच द्वारा पहले हि आपको व S.P साहब को शिकायत दी गई थी तथा जख पानी चौरी किया जा रहा था तो सरपंच व पंच मौके पर गए और मौके पर पुलिस भी बुलाई गई मगर पुलिस ने कोई कार्यवाही नही की । वो व्यक्ति सतीश झांसवा की बुआ का लडका है । यह इंकवायरी की दरखास्त सरपंच के खिलाफ एक षडयंत्र के तहत दी है ।

यह कि शिकायत मे सरपंच के खिलाफ लगाये सभी आरोप निराधार है व महज गांव कि राजनैतिक बहस झुठे लगाये गये। अतः जनाब से अर्ज है कि प्रार्थी की शिकायत को दफतर दाखिल किया जावे।

मह-52

सरपंच ग्राम पंचायत झांसवा
सरोज देवी जिला झज्जर

श्रीमान पंच
मान पंच
जल

Sisru
पंच सिंह
चुनवादी
R
Mang Kumar
अन्तरा 2 DE

सरोज देवी
सरपंच
ग्राम पंचायत झांसवा
जिला झज्जर (उत्तर प्रदेश)

सेवा में,

उपायुक्त महोदय,

झज्जर ।

DDPO
4/4/24

विषय :- ग्राम पंचायत झासवा की बनी से पेड काटने बारे शिकायत ।

श्रीमान जी,

झासवा बनी से जिन आदमियों को पेड काटते हुए देखा गया है और उनके फोटो लिये गये हैं उनके नाम इस प्रकार हैं 1. दिवान सिंह पुत्र अमर सिंह 2. राजु पुत्र अजय 3. अमित पुत्र मांगेराम उपरोक्त नामों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करे। जिनके पेड काटते हुए फोटो लफ दरखास्त है । इनके साथ अन्य दो व्यक्ति भी पेड काटने में शामिल हैं जिनमें पता चला है कि एक सतीश पुत्र चंद्र की बुआ का लडका है और सतीश पुत्र चंद्र सिंह ने राजनीति खेलकर सरपंच को फंसाने के लिये झूठा आरोप लगाया है व झुठी दरखास्त दी है जिस बारे उक्त सतीश पर भी कानूनी कार्यवाही की जावे ।

स्थान :-

दिनांक :- 04-04-2024.

M. No 7027279930

सरोज देवी

सरपंच
ग्राम पंचायत,
जिला झज्जर (अजमेर)

प्रार्थी

सरोज देवी

सरपंच ग्राम पंचायत झासवा

सेवा में,

श्रीमान उपायुक्त महोदय

झज्जर

विषय:- दरखास्त बाबत पंचायती जमीन गांव झांसुवा के हरे व सुखे पेड काटकर चोरी करने वाले मनजीत पुत्र श्री रामबीर , सत्यवान पुत्र श्री रामबीर व चीकु पुत्र चांद राजेश पुत्र भीम सिंह अतर पुत्र ईश्वर व 4-5 अन्य व्यक्ति निवासीयान गांव झांसुवा थाना साल्हावास जिला झज्जर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही बाबत

श्रीमान जी,

प्रार्थीया निम्नलिखित निवेदन करती है कि:-

1. यह कि प्रार्थीया सरोज देवी पत्नी हरिकिशन गांव झांसुवा तह मातनहैल जिला झज्जर की हाल निर्वाचिक सरंपच है ।
2. यह कि दिनांक 2.11.2023 को रात के समय प्रार्थीया को पता चला कि कुछ व्यक्ति गांव की पंचायती जमीन से हरे व सुखे पेड काटकर चोरी करके ले जा रहे है जो इस सूचना पर प्रार्थीया 9.45 पर सीमा पंच व गांव के अन्य व्यक्तियों को लेकर मौका पर पहुंची तो प्रार्थीया ने देखा कि उपरोक्त व्यक्ति पेड काट रहे तो प्रार्थीया ने अपने फौन से फोटो खीचें तो उपरोक्त व्यक्ति प्रार्थीया को जान से मारने की धमकी देने लगे जिस पर प्रार्थीया ने 112 पर सूचना दी तथा एस एच ओ साल्हावास को मुकदमा दर्ज कराने बारे लिखित शिकायत दी ।
3. यह कि पुलिस ने अगले दिन दोनों पक्षों को थाने में बुलाया तो आरोपी पक्ष ने अगले रोज थाने में ही प्रार्थीया पक्ष के साथ झगडा

29
122

किया व प्रार्थीया के पति को चोटे मारी जिस पर आरोपी पक्ष के खिलाफ एफ आई आर नं0 301 दिनांक 3.11.2023 अधिन धारा 147,149,323,506 आई पी सी के तहत थाना साल्हावास में मुकदमा दर्ज कर लिया पेड चोरी करने वाली शिकायत पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है ।

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ हरे व सुखे वृक्ष पंचायती जमीन से काटकर चोरी कर ले जाने बारे आवश्यक अपराधिक मुकदमा दर्ज करवाया जाये ।

धन्यवाद

2-21 ज 34/14

जनपद
झासुवा
जिला झज्जर (सियावा)

प्रार्थीया

सरोज देवी पत्नी हरिकिशन

हाल सरंपच गांव झासुवा

तह जिला झज्जर थाना साल्हावास

मो नं. 9817109501 व 7011765097

झज्जर

दिनांक 4.4.2024

(30)

Annexure R2/9

ब्यानकर्ता सरपंच श्रीमते सरोज देवी, ग्रामपंचायत झांसवा, खण्ड मांतनहेल।


ब्यान करती हूं कि उपायुक्त महोदय, झज्जर के समक्ष निजी सुनवाई के दौरान 02.01.2024 को जो ब्यान मैंने दिये थें वहीं मेरे ब्यान है। इसके अतिरिक्त साक्ष्य/सबूत के तौर पर मैं पांच फोटो जो गांव की बणी से पेड़ काटते हुए के लिए गए हैं, प्रस्तुत कर रही हूं जोकि 1. श्री अमित पुत्र श्री मांगेराम 2. श्री दीवान पुत्र अमर सिंह 3. श्री राजू पुत्र अजय 4 व 5 में बणी में जहां लकड़ी काटी गई है वहां की फोटो है।


गांव की स्थानीय समिति द्वारा 30.07.2012 को बेचे गए पेड़ों की बोली व बनाई गई कमेटी के पेज साथ संलग्न कर रही हूं। जोकि क्रम संख्या 1 से 15 तक है। उस समय काटे गए पेड़ की स्थानीय समिति में श्री भोम सिंह, श्री रामनिवास, श्री रणवीर, श्री खजान और श्री सतीश पुत्र चंद्र सिंह है। ये पेड़ कटवाते रहते है व सरपंच का झूठा नाम देते रहते है। उपरोक्त दोषियान के विरुद्ध एक दरखास्त मेरे द्वारा 06.11.2023 को उपायुक्त महोदय, झज्जर को दी थी। जोकि माननीय उपायुक्त महोदय, झज्जर द्वारा पुलिस अधीक्षक, झज्जर को भेजी गई, लेकिन पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिसकी प्रति साथ संलग्न है। इसके अलावा मेरे स्वयं द्वारा दिनांक 02.11.2023 को रात्रि 09:45 बजे डायल 112 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया। 112 के कॉल पर सब इन्सपेक्टर श्री रामपाल थाना साल्हावास मौके पर हाजिर आया। किन्तु मौके पर पेड़ काटने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके अलावा 24 व 25 अगस्त 2023 में मंदिर कमेटी द्वारा गांव की बणी से सुखे 15 से 20 पेड़ भंडारा आयोजन के लिए काटकर लायें गए थें। ग्राम पंचायत द्वारा कोई पेड़ नहीं कटवायें गए है, जबकि पंचायत द्वारा 300 नए पेड़ लगवायें गए है। नए पेड़ लगवाने के सरपंच द्वारा कोई पैसा पंचायत का न लगाकर स्वयं लगायें गए है। जिनके द्वारा पेड़ कटवायें गए है उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की सिफारिश की जाती है।



सरोज देवी



5.4.2024

ग्रामपंचायत, झांसवा, खण्ड मांतनहेल












34



25



आपके नाम. [30 07 2012] को ग्राम समिति
 विपुल ग्रामीण समिति द्वारा ग्राम समिति
 के कार्य के अनुसार जो 20.7.2012 को ग्राम
 समिति की ओर के अन्तर स्थान से ग्राम
 के लक्ष्य पर की नीलामी की गई
 11 लोक सेवा आयोग द्वारा लोक सेवा आयोग की
 प्रक्रिया में लोक सेवा 16 सितंबर में लोक
 सेवा और लोक सेवा के निपटारे में लोक सेवा
 को बताया गई जो इस प्रकार है

1. जमानत राशि दो हजार रुपये होगी
2. लोक सेवा की राशि दिनांक 5.08.2012
 तक हर हाल में राशि कोशिका में
 पाल जमा करवानी होगी।
3. जो जिन पैसे की नीलामी की गई है
 उन के आतिरिक्त यदि कोई भी लोक सेवा
 पैसे काटने पाया गया उसकी लोक सेवा राशि
 में आतिरिक्त ग्यारह हजार रुपये
 जावना ग्राम समिति आपसी लक्ष्य से
 दफ्त को चला और बढा भी लगे

लोक सेवा के नाम

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

21500

55650

1700

78850

G / total

~~गणित के लिए रजिस्ट्रार चर्चा~~

99 / 7 / 2007

22 / 2

Sector 9 महीपाल S/O रामकुमार
14 " " "

9000 -
8500 -

17500

लीलराम



Sector 15 चमरीपाल S/O राजाराम

20000 -
चमरीपाल

Sector 16 विजेन्द्र S/O रतनासिंह

17100 -
विजेन्द्र

CA/18/12

ताब 284100 दोलख चौरासी हजार रुपये
रामनिवास

मानसिंह

कालुशाम

चमरी

सत्यनारायण

भट्ट

सुरतासिंह

शुभ

विश्वनाथ

दाहराम

राम

समीर

महेश

समय 7/1

रामदास

बोली लगाने की प्रक्रिया में 16 क्षेत्रों की बोली विभिन्न बोलीदाताओं के नाम पर द्युती

Sector	1.	आनंद	आनन्द	श्री साराम	7000-
	6.	"	"	"	32000-
	7	"	"	"	8600
	12	"	"	"	18500
	13	"	"	"	8400
					<u>आनंद 54500</u>

Sector	2.	दोदूराम	श्री	दवा सिंह	32000-
					<u>दोदूराम</u>

Sector	3	प्रवीण	श्री	दोदूराम	21500
	8	"	"	"	30500
					<u>52000</u>
					प्रवीण कुमर

Sector	4	हरिकेश	श्री	राम लाल	39000-
	5	"	"	"	14000-
	10	"	"	"	1800-
	"	"	"	"	10000-

Extra बोली - 6000 रु + 11000 रु = 17000 रु
हरिकेश लाल 81000

9101 - 4 9101

392019 -

24000 - 20100

390115 - 52000 / - 10000, 11000, 12000

Adress - 5500, 9000, 12700

Palras - 6000

मिथ्यासंगत - 6500, 9500, 10500

2111111111111111 - 11500, 12500, 13000, 13200, 13400

915119-511111 - 12800, 13100, 13350

मिथ्यासंगत - 13300
9101 - 4

392019

24000 - 20100

390111592 -

मिथ्यासंगत
Adress - 5500
Palras - 6000

उत्तर - उत्तर

र. म. वि. शा. म. वि. शा. - 3000 (7200)

म. वि. शा. - 4000, 5500

उत्तर - 3000, 7000

उत्तर - 6000, 6500


उत्तर - 6100, 6600, 7100

Handwritten title or header text at the top of the page.

- 1. ~~Handwritten text~~
- 2. ~~Handwritten text~~
- 3. ~~Handwritten text~~
- 4. ~~Handwritten text~~
- 5. ~~Handwritten text~~
- 6. ~~Handwritten text~~
- 7. ~~Handwritten text~~
- 8. ~~Handwritten text~~
- 9. ~~Handwritten text~~
- 10. ~~Handwritten text~~

46

140



47

141

[Faint, illegible handwriting on lined paper]

1. गीर सिंह प्र० मुगाराम
R/O मिर्जापुर रेवाड़ी
2. चामपाल प्र० राजाराम
R/O माहवा
3. आनन्द प्र० बीसाराम
माहवा
4. प्रवीण प्र० धोंदुराम
माहवा
5. हरिकिशन प्र० रामलाल
माहवा
6. विजय प्र० रत्नासिंह
माहवा
7. रामकिशन प्र० धोंदुराम
माहवा
8. महीपाल प्र० रामकुमार
R/O कन्होदरी
9. कालू प्र० जागराम
R/O राजा
10. धोंदुराम प्र० देवासिंह
11. लिवत प्र० शादीराम

49

29.05.1961

1000 / 1200, 1600
 1100 / 1500, 1700

1000 / 1200, 1600
 1100 / 1500, 1700

414

Page No.	
Date	

उत्तरांच - 12000, 15500, 16500, 19000

संख्या - 11000, 15000, 17000, 18500, 20100

मार्ग - 13000, 16000, 18000, 19500, 20500, 21200

संख्या - 20000, ~~20500~~, 21000, 21500

आज दिनांक 20-02-12 को आमसभा
 को आमसभा के पीछे पंचायत के
 जिसमें सभी सदस्यों को सभी सदस्यों
 को आमसभा के लिए कि गांव की
 सभी गांवों-मुहानों के कारण बहुत
 कुछ हुए गांव है व कुछ सुरक्षा के
 कारण आमसभा को नियुक्त करने की विचार
 करनी।

कभी ही हुए हुए पैदा व सुरक्षा के
 प्राण संभाल को आन्दर निर्माण को
 लगायेगी / लिखित कर दी गई है कि ताकि
 संभाल पर काम आये।

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | आम प्रकाश पटौत |
| 2 | श्रील कुमार 510 डीन प्रकाश |
| 3 | बिल्लू ठेकरा |
| 4 | राजेश 510 देशराज |
| 5 | अमर 510 सैनाथ पटौत |
| 6 | अनुर 510 सुब्रह्मण्य |
| 7 | निरु 510 गीरी चन्द |
| 8 | आर्य 510 राजेश |
| 9 | गंगाधर |

①	रामाक, धान का 1000	16000	100
	"	13000	100
	"	7200	100
	"	19050	100
		<u>55650</u>	<u>400</u>

Reserve
30/1/2017

धान 121000

धान 233

② मना 250 सुनरी सिद्धांत का 1000

③ रावत 50 आदी रावत का 21500


वत का 100
Rajendra Singh
अनुराधा देवी
Charan
अनुराधा देवी

④ Total Sum

अनुराधा देवी
अनुराधा देवी
अनुराधा देवी
अनुराधा देवी

अनुराधा देवी
अनुराधा देवी
अनुराधा देवी
अनुराधा देवी

Moh... 200



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

Original Application No. 119/2024 of 2020

In re: -

SATISH KUMAR

Applicant

VERSUS

M.O.F & C.C. & O.R.s

Defendant/Respondent

KNOW ALL to whom these present shall come that I/We SAROT DEVI (SARPANCH) the above named Respondent No - 285 Vill. JHARWA JHARWA HARYANA do hereby appoint:

(hereinafter called the advocate/s) to be my/our Advocate in the above noted case authorize him: ADV. MANOJ KUMAR Adv. MADHU LATA Ch. No - 642 Dwarika Court New Delhi - 75 9312126391 ADV. MADHU LATA D1248002010 Ch. No - 642 Dwarika Court Ph. No 9718943984

- 1. To act, appear and plead in the above-noted case in this Court or in any other Court in which the same may be tried or heard and also in the appellate Court including High Court subject to payment of fees separately for each Court by me/us. ADV. MADHU LATA @GMAIL.COM
2. To sign, file, verify and present pleadings, appeals, cross-objections or petitions for executions review revision, withdrawal, compromise or other petitions or affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages subject to payment of fees for each stage.
3. To file and take back documents, to admit and/or deny the documents of opposite party.
4. To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case.
5. To take execution proceedings.
6. To deposit, draw and receive monthly cheques, cash and grant receipts thereof and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution of the said case.
7. To appoint and instruct any other Legal Practitioner authorizing him to exercise the power and authority hereby conferred upon the Advocate whenever he may think fit to do so and to sign the power of attorney on our behalf.
8. And I/We the undersigned do hereby agree to rectify and confirm all acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all intents and proposes.
9. And I/We undertake that I/We or my/our duly authorised agent would appear in Court on all hearings and will inform the Advocate for appearance when the case is called.
10. And I/We the undersigned do hereby agree not to hold the advocate or his substitute responsible for the result of the said case.
11. The adjournment costs whenever ordered by the Court shall be of the Advocate which he shall receive and retain for himself.
12. And I/We the undersigned to hereby agree that in the event of the whole or part of the fee agreed by me/us to be paid to the advocate remaining unpaid he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. The fee settled is only for the above case and above Court. I/we hereby agree that once fee is paid, I/We will not be entitled for the refund of the same in any case whatsoever and if the case prolongs for more than 3 years the original fee shall be paid again by me/us.

IN WITNESS WHEREOF I/We do hereunto set my/our hand to these presents the contents of which have been understood by me/us on this.....day of October, 2020. Accepted subject to the terms of the fees.

Manoj Advocate

Client

Madhu Client

MANOJ KUMAR 5/23/2017